न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 10/2020

बउनवान

श्रीमति चन्द्रकान्ती बाई पुत्री श्री नन्दा पत्नी गोरधन उम्र 49 वर्ष जाति माली, निवासी गणेश जी का मौहल्ला, ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मथुरा जाति माली, निवासी ग्राम कोयला, तसहील बारां जिला बारां (राज0)
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील बारां, जिला बारां (राज0) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील विरूद्ध आदेश मिसल संख्या 38/2011 दिनांक 29.09.2011 न्याया. तहसीलदार बारां

उपस्थिति :– 1. श्री ओमम मेहता III अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक **(रेस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक 18.07.2023

अपीलांट द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 29.09.2011 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि रेस्पोडेन्ट कम–1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बारां के समक्ष दिनांक 23.12.2010 को इस आशय का पेश किया था कि "प्रार्थी के दादा छपना जी थे जिनके तीन लड़के हीरा, गणपत, मथुरा थे, प्रार्थी मथुरा जी का लडका है तथा गणपत जी लाऔलाद फौत हो गया था तथा गणपत जी ने प्रार्थी को उसके जीवनकाल मे गोद ले लिया था तथा गणपत जी की मौत के बाद उसकी पगडी की रस्म और क्रियाक्रम एवं समस्त संस्कार प्रार्थी द्वारा ही किये गये थे इस कारण गणपत की भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय तहसीलदार बारां के द्वारा प्रकरण संख्या 38/2011 पर दर्ज किया जिस पर पटवार मण्डल कोयला के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा गवाहो के बयानात लेने के उपरान्त दिनांक 29.09.2011 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। जिससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट कम 1 ने स्वयं को मृतक गणपत का गोदपुत्र होना जाहिर किया था जबकि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 न तो कभी गणपत का गोदपुत्र होना जाहिर किया क्योंकि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 न तो कभी गणपत के गोद गया और नही कोई गिविंग टेकिंग सेरेमनी हुई क्योकि कानूनन गोद लेने या देने के लिये गिविंग टेकिंग सेरेमनी होना आवश्यक है तथा जिस बालक गोद जाता है तो उस बालक की नैसर्गिक माता की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। किन्तु रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया तथा इन साक्ष्यों के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधिक भूल की है। किसी भी बालक को गोद लेने या देने के संबंध में गोद नामा आधारभूत दस्तावेज है, जिसका रजिस्टर्ड होना कानूनन आवश्यक

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:13 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त दस्तावेज के अभाव में गोद जाना पूर्ण नही माना जा सकता है। बावजूद इसके योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आधारभूत गोद नामे के अभाव में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विधिक भूल की है। रेस्पोडेन्ट नंबर 2 के समक्ष आयी पटवारी रिपोर्ट से यह स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के पास उसके गोद जाने का कोई दस्तावेज नहीं है और ना ही कोई दस्तावेज अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया तथा मात्र मृतक गणपत का क्रियाक्रम करने और उसकी पगडी दस्तूर के बाबत ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक का क्रियाक्रम करने या पगडी पहनने मात्र से ही गोद पुत्र साबित नहीं हो जाता है। इस महत्वपूर्ण विधिक तथ्य के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। दिनांक 27.09.2020 को अपीलांट अपने पैतृक गांव कोयला गई तब परिजनों द्वारा बताया तथा रेस्पोडेंन्ट क्रम 1 के मृतक गणपत के गोद जाने वाली बात भी पता लगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.09.2011 निरस्त फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को पक्षकार के रूप में समायोजित करते हुए पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र का निरस्तारण करने के आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

जिला कलक्टर न्यायालय बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पक्षकारों की तलबी हेतु नोटिस जारी नहीं किये। बाबूलाल ने गणपत का उत्तराधिकारी होने बाबत दस्तावेज पेश नहीं किया। गवाहान ने भी अपने बयानों में गोद लेना नहीं बताया। उत्तराधिकारी तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, ग्राम पंचायत वारिसान प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकती। रेस्पोडेन्ट क्रम–1 द्वारा तहसीलदार बारां के समक्ष दिनांक 23.12.2010 को प्रस्तुत आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2011 को निर्णय पारित कर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जबकि पालना हेतु पत्र दिनांक 25.08.2011 को ही जारी कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने स्वयं को मृतक गणपत का गोदपुत्र होना जाहिर किया था जबकि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 न तो कभी गणपत के गोद गया और नही कोई गिविंग टेंकिग सेरेमनी हुई रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा गोदनामे संबंधी दस्तोवज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.09.2011 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:13 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने [illegible] किया कि गणपत की संपत्ति में अपीलांट का पिता नन्दा उत्तराधिकारी [illegible] कोई अधिकार नही है। गणपत ने बाल्यकाल में बाबूलाल [illegible] की पत्रावली में संलग्न गवाह आनन्दी, नन्दलाल के बयानो में गवाहान ने गोद की ताईद की है। प्रकरण से सम्बन्धित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में वाद संख्या 145/2012 बउनवान बाबूलाल बनाम धन्नालाल वगैरह जैरकार है। अपीलांट को मृतक गणपत के दत्तक पुत्र बाबूलाल के पक्ष में तहसील बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2011 की प्रारम्भ से ही जानकारी होते हुए भी

9 वर्ष के विलम्ब का समुचित कारण एवं स्पष्टीकरण अपीलांट द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में नही दिया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त निरस्तनीय है।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांटगण ने कथन किया कि दोनों अपील साथ में की गई है। बटवारे का दावा, दूसरी भूमि बाबत किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.09.2011 निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम आदेश दिनांक 24.01.2023 से स्वीकार किया जा चुका है।

अपीलांट द्वारा अपील इस आधार पर पेश की गई है कि गणपत दत्तक पुत्र होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा खातेदारी घोषणा का नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है, जिसमें बाबूलाल रेस्पोडेन्ट के गणपत का दत्तक पुत्र मानते हुए उसके गणपत की खातेदारी की भूमि की घोषणा के संबंध में निर्णय होना है।

बाबूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में गणपत का दत्तक पुत्र मानते हुए गणपत की खातेदारी भूमि का नामांतकरण अपने हक में खोले का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने पुष्पाबाई, नन्दकिशोर आदि के बयानात तथा ग्राम पंचायत कोयला व पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट को गणपत का दत्तक पुत्र मानते हुए गणपत की खातेदारी की आराजीयात पर उसके स्थान पर बाबूलाल का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए। जबकि बाबूलाल का गणपत के गोदनामें बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नही था। बाबूलाल को गणपत का दत्तक पुत्र मानने के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में नियमित वाद विचाराधीन है। उसमें उसके अधिकार तय होगें। वैसे भी गोदपुत्र होने बाबत तथ्य सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किए जा सकते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां का आदेश दिनांक 29.09.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन वाद में बाबूलाल के दत्तक पुत्र बाबत तथ्य निर्धारित होने पर तदनुसार नामान्तरकरण दर्ज करें।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को सन्मुख इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:13 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)